मानव संसाधन प्रबंध विभाग (आवंटन)
Human Resource Management Department (Allotment)
भुवनेश्वर / Bhubaneswar

बोली पूर्व बैठक के कार्यवृत्त – बैंक के अधिकारी आवास, नयापल्ली में स्थित विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स (वीओएफ), एग्जीक्यूटिव वीओएफ में प्रबंधन और हाउसकीपिंग के लिए (खानपान सहित) और स्टाफ क्वार्टर्स, विद्युत मार्ग में स्थित ट्रांजिट हॉलिडे होम्स (टीएचएच) और मेडिकल फ्लैट्स में केवल प्रबंधन और हाउसकीपिंग के लिए ई-निविदा

निविदा सं.- आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/मासंप्रवि/4/24-25/ईटी/596

उपर्युक्त निविदा 25 नवंबर, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। निर्धारित समय के अनुसार, उपर्युक्त निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 05 दिसंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे कॉन्फ्रेंस रूम, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया था:

बोली-पूर्व बैठक में निम्नलिखित वेंडर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया:

क्र.सं.	नाम	एजेंसी का नाम
1	श्री चंदन कुमार साहु	चेरिश हॉस्पिटैलिटी (आई) प्राइवेट लिमिटेड
2	श्री तपन चक्रवर्ती	टैलेंटेड इंडिया
3	श्री मंगराज पटनायक	लोटस केयर सर्विसेज
4	श्री सुरेश चन्द्र दाश	सत्यभामा हॉस्पिटैलिटी
5	श्री निरंजन साहु	एस एस कैटरिंग एंड एलाइड सर्विस
6	श्री सौर्य मिश्रा	सुमित सेक्योरिटी सर्विस
7	श्री सुमंत कुमार पंडा	मोनामी
8	श्री शरत चन्द्र मिश्र	एनएसएसपीएल

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर की ओर से निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

1. श्री शशांक मोहंती, उमप्र, एचआरएमडी
2. श्री राहुल कांता, समप्र, एचआरएमडी
3. श्री नबघन राउत, प्रबंधक, एचआरएमडी

4. श्री बिशद रत्न त्रिपाठी, सहायक प्रबंधक, एचआरएमडी

5. श्री भबानी शंकर मलिक, सहायक प्रबंधक, संपदा

6. श्री आलोक चंद्र पाणिग्रही, सहायक प्रबंधक, एचआरएमडी

7. श्री मेघा झंकर, सहायक, एचआरएमडी

2. बैठक में इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**फर्म के प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए प्रश्न**	**बैंक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण**
1.	श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी की गणना के लिए भुवनेश्वर क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है?	इस संबंध में इच्छुक बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 80 का संदर्भ लेने के लिए कहा गया, जिसमें यह उल्लेख है कि दिनांक 31 मार्च, 2016 की श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/13 (7)/2016-एलएस-II के अनुसार भुवनेश्वर "बी" क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
2.	क्या दस्तावेज़ के पृष्ठ 45 में उल्लिखित बेसिक, एचआरए, ग्रेच्युटी कर्मचारी को दी जान है?	इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित किया गया कि वे निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 45 में दी गई तालिका का संदर्भ लें जिसमें कामगारों को भुगतान के दस्तावेजी प्रमाण के रूप में बैंक को प्रस्तुत नमूना वेतन पर्ची के रूप में बैंक को बिल प्रस्तुत करना है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान वित्तीय बोली के लिए मूल्य कोटेशन (निविदा दस्तावेज का पृष्ठ सं 78) की तालिका 1 के क्रम संख्या 1 के अनुसार किया जा सकता है।
3.	उन श्रमिकों को क्या लाभ दिए जाने चाहिए जो कार्यस्थल पर किसी भी दुर्घटना / चोट के लिए ईएसआई के लिए पात्र नहीं हैं?	इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित किया गया कि वे निविदा दस्तावेज के बीमा खंड (भाग I खंड VI के पैरा 42: नियम, शर्तें और सामान्य अनुदेश) देखें, जिसमें यह उल्लेख है कि सफल बोलीदाता को अपने सभी कामगारों के लिए निम्नलिखित बीमा पॉलिसियां लेनी होंगी। a) संपूर्ण संविदा अवधि के लिए पूर्ण संविदा मूल्य के लिए ठेकेदार की सभी जोखिम नीति ख) स्थल पर तैनात सभी कामगारों के लिए कामगार मुआवजा नीति ग) निम्नलिखित विवरण के अनुसार तृतीय पक्ष देयता नीति:

		(i) व्यक्तियों को घायल होने के लिए - प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना ₹2 लाख (ii) संपत्ति की क्षति के लिए - प्रति दुर्घटना ₹5 लाख
4.	वित्तीय/मूल्य बोली में मजदूरी की गणना सालाना 365 दिनों या 30 दिनों के मासिक आधार पर होगी? भाग II की तालिका-1 में वित्तीय/मूल्य बोली (पृष्ठ 78) के आधार पर मजदूरी की गणना की गई है। तथापि, भाग II के अनुदेशों और शर्तों - वित्तीय/मूल्य बोली (आयु 80 वर्ष) के बिन्दु 3 में इसे इस प्रकार लिखा गया है कि उपर्युक्त वित्तीय बोली में 30 दिनों के लिए दरें उद्धृत की जा सकती हैं।	इच्छुक बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर यथा उपलब्ध निविदा दस्तावेज की भाग-II की तालिका-1 के अनुसार 365 दिनों के लिए दर उद्धृत करने की सलाह दी गई थी।
5.	क्या श्रमशक्ति बदला जा सकता है?	हां, संविदा के दौरान एजेंसी द्वारा श्रमशक्ति को बदला जा सकता है। एजेंसी को निविदा दस्तावेज के भाग-I, खंड-VI (नियम, शर्तें और सामान्य निर्देश) के पैरा 46 (vi) के संदर्भ में बिना किसी विफलता के श्रमशक्ति में परिवर्तन के बारे में बैंक को सूचित करना होगा। यह आगे स्पष्ट किया गया कि, एजेंसी कार्यक्षेत्र के अंदर और बाहर अपने कर्मचारियों की किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एजेंसी के कर्मचारियों की कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6.	एमएसटीसी पोर्टल में निविदा दस्तावेज और बोली से संबंधित प्रश्नों के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए?	निविदा दस्तावेज से संबंधित प्रश्नों के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। • श्री बिशद रत्न त्रिपाठी – 9437729070 • श्री आलोक चन्द्र पाणिग्रही – 8249116534 एमएसटीसी पोर्टल में बोली लगाने से संबंधित प्रश्नों के लिए, निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। • श्री भबानी शंकर मलिक - 7978857932

3. बैठक प्रतिभागी एजेंसियों/कंपनियों के प्रतिनिधियों के धन्यवाद के साथ संपन्न हुई।

4. उपरोक्त सभी बिंदुओं को बोलीदाताओं द्वारा नोट और सहमति दी जाती है।

   a. बोली पूर्व बैठक के ये कार्यवृत्त निविदा दस्तावेज/करार का हिस्सा होंगे।
   b. निविदा दस्तावेज के शेष नियम और शर्तें और विनिर्देश समान रहेंगे।
   c. उपर्युक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की सूचना के लिए जारी किए जाते हैं।
   d. फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
आरबीआई, भुवनेश्वर